परिपत्र संख्या- जी.एस.टी. /2021-22/ /कम्प्यूटर परि0सं0- 2122014 / 194 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 09 जुलाई, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- मेंथा आयल एवं इसके उत्पाद के निर्यातक व्यापरियों को स्वीकृत GST रिफण्ड की स्क्रूटनी के सम्बन्ध में।

एकीकृत माल एवं सवेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-16 की उपधारा (3) के क्लाज (a) में प्रावधानित विकल्प के अधीन मेंथा आयल एवं इसके उत्पादों के निर्यातक व्यापारियों द्वारा अप्रयुक्त ITC का रिफण्ड क्लेम किया जाता है। विगत वर्षों में जांच के दौरान मेंथा आयल के व्यापार में कई फर्मों द्वारा माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना इनवायस जारी करते हुए निर्यातकों को बोगस ITC पासआन किए जाने का तथ्य विभाग के संज्ञान में आया है। अत: मेंथा आयल एवं इसके उत्पाद के निर्यातक व्यापारियों की इनवर्ड आपूर्ति चेन की समग्र जांच कराया जाना औचित्यपूर्ण पाए जाने के दृष्टिगत राजस्व हित में विषयांकित व्यापारियों को वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में स्वीकृत किए गए रिफण्ड की स्क्रूटनी निम्नानुसार की जाएगी -

-तालिका-

कार्यालय	प्रति निर्यातक प्रति वर्ष रिफण्ड की मौद्रिक सीमा	स्क्रूटनी करने वाले अधिकारी का पदनाम	वित्तीय वर्ष	स्क्रूटनी हेतु निर्धारित समय सीमा
खण्ड	> 10 लाख < 100 लाख	सम्बन्धित ज्वा0कमि0 (कार्य0)	2017-18	30-09-2021 तक
			2018-19	31-12-2021 तक
			2019-20	31-03-2022 तक
			2020-21	30-06-2022 तक
ज्वा0कमि0(कार्पोरेट)	> 10 लाख < 100 लाख	सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि.अनु.शा.)	2017-18	30-09-2021 तक
			2018-19	31-12-2021 तक
			2019-20	31-03-2022 तक
			2020-21	30-06-2022 तक
खण्ड या ज्वा0कमि0 (कार्पोरेट)	>100 लाख	सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1	2017-18	30-09-2021 तक
			2018-19	31-12-2021 तक
			2019-20	31-03-2022 तक
			2020-21	30-06-2022 तक

उक्तानुसार स्क्रूटनी करने वाले अधिकारी द्वारा निर्यातक व्यापारी की ITC चेन में आने वाले व्यापारियों के अस्तित्व एवं वास्तविक व्यापार की सूचना सम्बन्धित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त करते हुए ITC के दावे का सत्यापन किया जाएगा। रैण्डम आधार पर किसी मामले का प्रतिपरीक्षण अन्य जोन से अथवा

मुख्यालय स्तर से भी किया जा सकता है तथा प्रतिपरीक्षण में त्रुटिपूर्ण स्क्रूटनी पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त तालिका में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्क्रूटनी कार्य के सम्पादन की मानीटरिंग हेतु निम्नवत प्रारूप **'क'** एवं **'ख'** में जोन स्तर से मासिक विवरण जी.एस.टी. अनुभाग, मुख्यालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रारूप 'क'- रिफण्ड स्क्रूटनी की प्रगति का विवरण

जोन-............................ माह .... वर्ष .... (धन0रु0 लाख में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	माह के प्रारम्भ में रु.100 लाख से कम रिफण्ड के उपलब्ध मामले		माह के प्रारम्भ में रु. 100 लाख से अधिक रिफण्ड के उपलब्ध मामले		स्क्रूटनी		स्क्रूटनी में पाए गए प्रतिकूल मामले		माह के अन्त में रिफण्ड की स्क्रूटनी के अवशेष मामले	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	माह में	माह तक	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप 'ख'- रिफण्ड स्क्रूटनी में पाए गए प्रतिकूल मामलों में अग्रिम कार्यवाही का विवरण

जोन........................... माह .... वर्ष .... (धन0रु0 लाख में)

क्र.सं.	त्रुटिपूर्ण रिफण्ड प्राप्त करने वाले व्यापारी का नाम एवं GSTIN	खण्ड / कार्यालय	रिफण्ड स्वीकृत करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	त्रुटिपूर्ण रिफण्ड की धनराशि	स्क्रूटनी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	धारा-74 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9/7/2021

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0- व दिनॉक: उक्त ।

प्रतिलिपि:-1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।

2. डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर सुसंगत मेन्यू में अपलोड कराने हेतु।

9.7.2021

(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।